[2019] 15 एस. सी. आर 169

ए.

मुनीश कक्कड़

वी.

निधि कक्कड़

(सिविल अपील सं. 2014 की 9318) 17 दिसंबर, 2019

बी.

[संजय किशन कौल और के**.** एम**.** जोसेफ**,** जे**.** जे**.]**

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955:

एस.13(1)(आई. ए.)-तलाक की मांग करने वाली याचिका-पति द्वारा-ट्रायल कोर्ट ने तलाक का फरमान पारित किया-उच्च न्यायालय ने डिक्री को दरकिनार कर दिया-सुप्रीम कोर्ट में अपील-आयोजितःउच्च न्यायालय ने आरोपों को विवाह के टूटने के रूप में खारिज कर दिया है-लेकिन पक्षों के बीच संबंध इस हद तक बिगड़ गए हैं कि विवाह की निरंतरता निष्फल है-हालांकि 'विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने' का आधार अधिनियम के तहत तलाक के आधार के रूप में नहीं डाला गया है, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, विवाद को शांत करने के लिए, तलाक की डिक्री दी जाती है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 142।

सी.

डी.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

ई.

पकड़नाः**1.** ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने विवाहेतर संबंधों के साथ**-**साथ विवाह से बाहर एक बच्चे के होने के आरोपों को विवाह के टूट**-**फूट के हिस्से के रूप में और "भावनाओं को भड़काने" के रूप में खारिज कर दिया है।**”** हालाँकि**,** तथ्य यह है कि पक्षकारों के बीच संबंध इस हद तक बिगड़ गए हैं कि दोनों पक्ष एक**-**दूसरे में बहुत कम अच्छा देखते हैं**,** एक पहलू जो परामर्शदाता की रिपोर्ट द्वारा समर्थित है**;** हालाँकि प्रत्यर्थी जोर देकर कहता है कि वह अपीलार्थी के साथ रहना चाहती है।वैवाहिक संबंधों के लिए दोनों पक्षों से समायोजन और एक साथ रहने की इच्छा की आवश्यकता होती है।इस तरह की इच्छा का मात्र कहना पर्याप्त नहीं होगा।**[**पैरा **13] [174-**बी**-**डी**]**

एफ.

जी.

2. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में तलाक कानून 'दोष सिद्धांत' पर आधारित हैं, यानी किसी भी पक्ष को अपनी गलती का फायदा नहीं उठाना चाहिए, और विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने का आधार, अभी तक, तलाक कानून में नहीं डाला गया है।

एच.

169 ए.

170 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 15 एस. सी. आर.

विधि आयोग द्वारा दो रिपोर्टों में इस पहलू पर बहस के बावजूद।संविधान के अनुच्छेद **142** के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को पक्षों के बीच "पूर्ण न्याय" करने की एक अनूठी शक्ति प्रदान करते हैं, यानी, जहां कभी-कभी कानून या क़ानून कोई उपाय प्रदान नहीं कर सकता है, न्यायालय किसी विवाद को इस तरह से शांत करने के लिए खुद का विस्तार कर सकता है जो मामले के तथ्यों के अनुरूप हो।जहाँ विवाह को एक मृत पत्र पाया जाता है, न्यायालय ने इसे समाप्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद **142** के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग किया है।**[**पारस **14,19** और **21] [174-**ई**; 175-**जी**; 176-**सी**]**

बी.

3. वर्तमान मामले में न केवल विवाह की निरंतरता निष्फल है, बल्कि यह दोनों पक्षों को और भावनात्मक आघात और अशांति का कारण बन रहा है।यह न्यायालय में पक्षों की प्रतिक्रियाओं के तरीके में भी परिलक्षित होता है।यह जितनी जल्दी समाप्त होगा, दोनों पक्षों के लिए उतना ही अच्छा होगा।**[**पैरा **20] [175-**जी**; 176-**ए**]**

सी.

डी.

4. इस विवाह का अंत दोनों पक्षों को एक-दूसरे से लड़ते हुए दो दशक बिताने के बाद जीवन में अपने तरीके से जाने की अनुमति देगा, और इस उम्र में भी, एक बेहतर जीवन के लिए हमेशा उम्मीद हो सकती है, अगर एक साथ नहीं, तो अलग से।इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद **142** के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, तलाक की डिक्री दी जाती है और दोनों पक्षों के बीच विवाह को तुरंत भंग कर दिया जाता है।**[**पारस **22** और **23] [176-**डी**-**ई**]**

ई.

7. 7, 500 रुपये प्रति माह के रखरखाव का भुगतान अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को जारी रखा जाना चाहिए**,** और पक्षकारों के लिए इस रखरखाव को बढ़ाने या उसमें कमी और समाप्ति के लिए उचित कार्यवाही करने का अधिकार है।हम केवल यह आशा करते हैं कि तलाक की डिक्री दिए जाने के बाद इस पहलू को भी पक्षों के बीच सुलझा लिया जा सकता है।**[**पैरा **24] [176-**एफ**-**जी**]**

एफ.

आर**.** श्रीनिवास कुमार बनाम आर**.** शमिता **(2019) 9** एससीसी **409 -**

जी.

पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

(2019) 9 एस**.** सी**.** सी**. 409**

पर भरोसा किया।

पैरा **19** ए

एच.

171

मुनीश कक्कर बनाम निधि कक्कर ए

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2014 की सिविल अपील सं. 9318।

2010 (ओ. एंड. एम.) के एफ. ए. ओ. सं. 90-एम. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से मनोज स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता, संतोष मिश्रा, नीलमणि पंत, मुकेश कुमार, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

बी.

उत्तरदाता-व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल**,** जे।

सी.

1. कहा जाता है कि शादी स्वर्ग में होती है।वे पृथ्वी पर टूट गए हैं।हम एक ऐसे परिदृश्य का सामना कर रहे हैं जहां लगभग दो दशकों के बेहतर हिस्से के लिए, हमारे सामने पक्षकार, जो

पति और पत्नी हैं, तलाक की कार्यवाही सहित विभिन्न मुकदमों में लगे हुए हैं, जो हमारे सामने अपील का विषय है।

डी.

2. पक्षकारों के बीच विवाह जालंधर में हिंदू संस्कारों के अनुसार 23.4.2000 पर संपन्न किया गया था, जहाँ स्पष्ट रूप से अपीलार्थी का परिवार स्थित था।कहा जाता है कि प्रत्यर्थी का परिवार कनाडा में स्थित था।इन आरोपों से ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षों के रहने की निरंतर अवधि केवल लगभग दो महीने के लिए थी, जिसमें प्रत्यर्थी आगे-पीछे चला जाता था, लेकिन निर्विवाद रूप से 24.5.2001 पर, प्रत्यर्थी अपने परिवार के साथ रहने के लिए कनाडा के लिए रवाना हो गया।यह अपीलार्थी का मामला है कि यह उसकी सहमति से नहीं था, जबकि दूसरी ओर यह प्रत्यर्थी का मामला है कि वह अपीलार्थी के कनाडा में आप्रवासन का प्रयास कर रही थी, और उसके कहने पर।प्रत्यर्थी 16.8.2002 तक भारत नहीं लौटी, जो कि 6.8.2002 पर कनाडा की नागरिकता प्राप्त करने के तुरंत बाद था।यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि इस दौरान, अपीलार्थी के आप्रवासन के लिए कनाडा के अधिकारियों के पास कोई कागजात दायर नहीं किए गए थे और प्रत्यर्थी अपीलार्थी द्वारा भेजे गए अधूरे कागजातों पर दोष डालता है।यह एक विवादास्पद मुद्दा है कि इतने लंबे समय तक पेपर क्यों पूरे नहीं किए जा सके।ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी स्पष्ट रूप से कनाडा की नागरिकता में रुचि रखता था और इसे हासिल करने के बाद ही वह भारत वापस आया।3. पक्षकार बमुश्किल ढाई महीने तक एक साथ रहे, जब कहा जाता है कि पक्षकारों के बीच लड़ाई छिड़ गई और प्रत्यर्थी ने फिर से अपीलार्थी का साथ छोड़ दिया।वहाँ एक था

ई.

एफ.

जी.

एच.

पंचायत और पक्षों के हस्तक्षेप से उन्हें अपने परिवार से अलग किराए के आवास में रहने के लिए कहा गया था, लेकिन वह भी कुछ महीनों से अधिक समय तक नहीं चला।कहा जाता है कि प्रत्यर्थी ने एक विवाद के बाद 15.4.2003 पर आम निवास छोड़ दिया और फिर कनाडा के लिए रवाना हो गया।

बी.

4. उपरोक्त के परिणामस्वरूप अपीलार्थी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (आई. ए.) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर की।

5. यह अपीलार्थी का मामला है कि उसे अपने जीवन और अंग की सुरक्षा के बारे में उचित आशंका थी, और यह कि प्रत्यर्थी वास्तव में कनाडा से दूर भारत में अपीलार्थी के साथ रहने में रुचि नहीं रखता था।कहा जाता है कि अकेलेपन और सह-निवास की कमी के कारण शारीरिक और मानसिक यातना हुई है।अपीलार्थी ने यह भी मामला बनाने की मांग की कि प्रत्यर्थी अवसाद से पीड़ित था और दवा ले रहा था।भारत में अपीलार्थी की स्थिर नौकरी के बावजूद, प्रत्यर्थी उस पर कनाडा जाने का दबाव डालता रहा, और अपनी अनिच्छा के बावजूद उसने अपनी शादी को बचाने के लिए आप्रवासन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे।हालांकि, कागजात कभी जमा नहीं किए गए।वास्तव में, उन्हें पता चला कि प्रत्यर्थी स्वयं अनुचित यात्रा दस्तावेजों पर कनाडा पहुंचा था और इस प्रकार, अपीलार्थी के आप्रवासन के लिए आवेदन नहीं कर सकता था।यह अपीलार्थी का आगे का निवेदन है कि अप्रैल, 2001 में ही प्रत्यर्थी द्वारा सभी स्त्रीधन ले लिए गए थे।अपीलार्थी ने आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थी बेहद संदिग्ध था और उसने अपने सहयोगियों के साथ कथित संबंधों के आधार पर अपने सहयोगियों के सामने अपने चरित्र को बदनाम किया।6. स्वाभाविक रूप से प्रत्यर्थी का अपना पक्ष था और उसने कनाडा में प्रवास करने के उसके आग्रह को पूरा करने के लिए कनाडा की यात्रा करने का दावा किया, हालांकि उसने स्वीकार किया कि वह अपीलार्थी का कोई भी दस्तावेज अपने साथ कनाडा नहीं ले गई थी।वास्तव में, उसने अपीलार्थी पर उसे छोड़ने का आरोप लगाया और दहेज, शारीरिक हमले और विवाहेतर संबंधों सहित कई अन्य आरोप लगाए।कनाडा में अपने निरंतर प्रवास के संबंध में वह "कीट काटने" का दावा करती है!अपनी गवाही में, वह दावा करती है कि जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो एक अनजाने में गर्भपात हुआ, हालांकि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उसने इसके संबंध में कभी शिकायत नहीं की।अपीलार्थी का संस्करण अलग है, अर्थात, कि उसे सामान्य चिकित्सा उपचार के लिए लिया गया था, और वास्तव में वह कभी भी पूर्ववर्ती नहीं थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

7. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, नवांशहर ने 9.12.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से तलाक की एक डिक्री दी, जिसके खिलाफ ए

एच.

173

मुनीश कक्कड़ बनाम निधि कक्कड़ [संजय किशन कौल, जे.] ए.

उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 10.2.2011 के विवादित आदेश के माध्यम से, हालांकि, तलाक की डिक्री को रद्द कर दिया।8. हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि निचली अदालत का दृष्टिकोण अन्य बातों के साथ-साथ अपीलार्थी के प्रत्यर्थी द्वारा निरंतर चरित्र हनन पर आधारित था, क्योंकि वह न तो अपीलार्थी के किसी भी विवाहेतर संबंध को साबित करने में सक्षम थी, न ही वह गर्भावस्था को जबरन समाप्त करने के तथ्य को साबित कर सकी थी।

बी.

9. हालाँकि, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवाह विच्छेद के मामले की जाँच करने के लिए छह प्राथमिक आधार तैयार किए।यह आक्षेपित क्रम में निष्कर्ष है कि हालांकि पक्ष अलग रहे, लेकिन इसमें पक्षों के बीच किसी भी वास्तविक कलह को प्रदर्शित करने के लिए गुस्से की कोई भावना नहीं बनाई जा सकी; हालाँकि समायोजन के मुद्दे थे।विद्वान न्यायाधीश ने एक-दूसरे द्वारा विवाहेतर संबंधों के संबंध में लगाए गए आरोपों पर ध्यान दिया, जिसमें विवाह से बाहर एक बच्चा होने का आरोप भी शामिल था, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसके साथ गंभीर आरोप नहीं लगाया जा सकता है।इसी के लिए "उत्तेजित भावनाओं" को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ये गंभीर सुझाव आए; लेकिन विवाह की बुनियादी दीवारों को नहीं गिराने की राय दी गई थी।यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी भी पक्ष ने एक-दूसरे के विवाहेतर संबंधों के संबंध में आरोप लगाने में सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया था और इस प्रकार, यह क्रूरता नहीं होगी।पक्षों द्वारा कथित शारीरिक हमले के पहलू को भी साबित नहीं किया गया था।

सी.

डी.

ई.

10. जहाँ तक विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के पहलू का संबंध है, यह राय दी गई थी कि चूंकि यह भारत में वैधानिक कानून का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

11. यह ध्यान देने योग्य है कि विभिन्न समय पर विवाद में मध्यस्थता करने के प्रयास किए गए, जो विफल रहे।इस न्यायालय द्वारा भी कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ है।एक अंतिम प्रयास में, हम में से एक ने पक्षों की सहमति से मामले को कक्ष में ले जाने

के बाद पक्षों को एक परामर्शदाता के पास भेजा गया था।हालाँकि, परामर्शदाता/मनोवैज्ञानिक ने कहा कि 2003 से सोलह (16) वर्षों के अलगाव ने दोनों पक्षों को रिश्ते के बारे में कड़वा और सनकी बना दिया था और दोनों पक्षों में किसी भी स्नेह या बंधन का कोई संकेत नहीं था। पक्षकारों के पास स्पष्ट रूप से सुखद समय का कोई इतिहास नहीं था और केवल कई अदालती मामलों से उत्पन्न होने वाली नाराजगी की भावनाएँ थीं।दोनों तरफ से कोई पारिवारिक समर्थन भी नहीं था।हमारे विचार में यह इस तथ्य से भी स्पष्ट होगा कि परिवार के दोनों सदस्यों द्वारा विरोधी पक्ष के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं।

एफ.

जी.

एच.

12. इस प्रकार, हमारे पास कुछ समय तक पक्षों को सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमारे इस सवाल के बावजूद कि क्या प्रत्यर्थी एक अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहेगा, उसने इससे इनकार कर दिया और खुद कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद व्यक्तिगत रूप से न्यायालय को संबोधित करना चाहती थी।

13. हमने मामले पर और निचली अदालत के फैसले और उच्च न्यायालय के फैसले में चर्चा पर अपना गहरा विचार दिया है।ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवाहेतर संबंधों के आरोपों को खारिज कर दिया है और साथ ही विवाह के टूट-फूट के हिस्से के रूप में और "भावनाओं को भड़काने" के रूप में एक बच्चे के विवाह से बाहर होने के आरोपों को खारिज कर दिया है।" हालाँकि, तथ्य यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि संबंध इस हद तक बिगड़ गए हैं कि दोनों पक्ष एक-दूसरे में बहुत कम अच्छा देखते हैं, एक पहलू जो परामर्शदाता की रिपोर्ट द्वारा समर्थित है; हालाँकि प्रत्यर्थी जोर देकर कहता है कि वह अपीलार्थी के साथ रहना चाहती है।हमारे विचार में, यह आग्रह केवल किसी भी तरह से प्रत्यर्थी के खिलाफ तलाक की डिक्री पारित नहीं होने देने के लिए है।यह केवल तलाक की डिक्री प्राप्त करने के अपीलार्थी के प्रयास को विफल करने के लिए है, इस तथ्य को पूरी तरह से खो देते हुए कि वैवाहिक संबंधों के लिए दोनों पक्षों से समायोजन की आवश्यकता होती है, और एक साथ रहने की इच्छा होती है।इस तरह की इच्छा का मात्र कहना पर्याप्त नहीं होगा।

बी.

सी.

डी.

14. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में तलाक कानून 'दोष सिद्धांत' पर आधारित हैं, यानी किसी भी पक्ष को अपनी गलती का फायदा नहीं उठाना चाहिए, और यह कि विधि आयोग द्वारा दो रिपोर्टों में इस पहलू पर बहस के बावजूद, विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने का आधार अभी तक तलाक कानून में नहीं डाला गया है।

ई.

15. हालाँकि, हम पाते हैं कि ऐसी कई न्यायिक घोषणाएँ हैं जहाँ इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक की अनुमति दी है; न केवल उन मामलों में जहां इस न्यायालय के समक्ष पक्षकार अंततः ऐसा करने के लिए सहमत हुए हैं, बल्कि अन्यथा भी।इस प्रकार, पूरी तरह से विफल विवाह की निरर्थकता को केवल कागज पर जारी रखने की मान्यता है।

एफ.

16. हमने ऊपर देखा है कि पक्षों को एक साथ रहने के लिए मनाने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, जो सफल नहीं हुए हैं।इसके लिए किसी एक या दूसरे पक्ष को दोष देना उचित नहीं होगा, लेकिन तथ्य यह है कि इस विवाह में कुछ भी नहीं रहता है।काउंसलर की रिपोर्ट भी ऐसा ही मानती है।शादी एक मृत पत्र है।

जी.

17. विद्वान एकल न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि शादी टूट गई है और "भावनाओं में जलन" हुई है, लेकिन ए

एच.

विवेक की आवश्यकता है कि हम उसी रास्ते से न चलें, जैसा कि हम महसूस करते हैं कि, विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर, यदि यह तलाक देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, तो क्या उपयुक्त मामला होगा!

18. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थी की कोई सहमति नहीं है।लेकिन वास्तविक रूप से, पक्षकारों की कोई इच्छा नहीं है, जिसमें प्रत्यर्थी भी शामिल है कि वे एक साथ रहें।एक-दूसरे के खिलाफ केवल कड़वी यादें और गुस्सा है।यह चिंता प्रत्यर्थी के मामले में बढ़ गई है कि किसी तरह अपीलार्थी को तलाक की डिक्री प्राप्त करने और "अपना जीवन जीने" की अनुमति

नहीं दी जाए, यह भूलकर कि दोनों पक्ष अपना जीवन बेहतर तरीके से, अलग-अलग जीने में सक्षम होंगे, क्योंकि दोनों पक्ष कानूनी कार्यवाही के प्रति जुनून से पीड़ित हैं, जैसा कि हमारे सामने प्रस्तुतियों से पता चलता है।

बी.

सी.

19. हम ध्यान दे सकते हैं कि इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में,

आर**.** श्रीनिवास कुमार बनाम आर**.** शमिता**, 1** हम में से किसके लिए **(**संजय**)**

किशन कौल, जे.) एक पक्षकार हैं, विभिन्न न्यायिक निर्णयों की जांच करने के बाद, विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक दिया गया था।यह ध्यान दिया गया है कि इस तरह की शक्तियों का प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जाता है, लेकिन दुर्लभ मामलों में, इस संबंध में कानून के अभाव को देखते हुए, जहां यह पाया जाता है कि एक विवाह पूरी तरह से अव्यवहारिक, भावनात्मक रूप से मृत, बचाव से परे है और अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है। यह एक ऐसा मामला था जहां पक्ष पिछले बाईस (22) वर्षों से अलग रह रहे थे और फिर से मिलन असंभव पाया गया था।हम इस तथ्य से अवगत हैं कि इस न्यायालय ने इस पहलू पर समय-समय पर सावधानी भी बरती है, इस बात पर ध्यान देने के अलावा कि यह केवल यह न्यायालय है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा कर सकता है।यदि पक्षकार सहमत होते हैं, तो वे हमेशा आपसी सहमति से प्रस्ताव के लिए निचली अदालत में वापस जा सकते हैं, या इस न्यायालय ने मामले को जल्दी से शांत करने के लिए कभी-कभी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है।लेकिन यह एकमात्र ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसमें इस न्यायालय द्वारा तलाक की डिक्री दी गई है।कई मामलों में, जहां एक विवाह को एक मृत पत्र पाया जाता है, न्यायालय ने इसे समाप्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग किया है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

20. हम मानते हैं कि न केवल इस विवाह की निरंतरता निष्फल है, बल्कि यह दोनों पक्षों के लिए और भावनात्मक आघात और अशांति पैदा कर रहा है।यह इस तरीके से भी परिलक्षित होता है कि

1 (2019) 9 एस. सी. सी. 409

एच.

न्यायालय में पक्षों की प्रतिक्रियाएँ।यह जितनी जल्दी समाप्त होगा, दोनों पक्षों के लिए उतना ही अच्छा होगा।हमारी एकमात्र आशा है कि इन कार्यवाही के अंत के साथ, जो पक्षों के बीच तलाक में समाप्त होती है, दोनों पक्ष अन्य कानूनी कार्यवाही जारी रखने की मूर्खता देखेंगे और उन्हें समाप्त करने का प्रयास भी करेंगे।

बी.

21. संविधान के अनुच्छेद 142 के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को पक्षों के बीच "पूर्ण न्याय" करने की एक अनूठी शक्ति प्रदान करते हैं, अर्थात, जहां कभी-कभी कानून या क़ानून कोई उपाय प्रदान नहीं कर सकता है, न्यायालय किसी विवाद को इस तरह से शांत करने के लिए खुद का विस्तार कर सकता है जो मामले के तथ्यों के अनुरूप हो।यही उद्देश्य है कि हम वर्तमान मामले में इस प्रावधान का सहारा लेना उचित समझते हैं।22. हमारा विचार है कि इस विवाह का अंत दोनों पक्षों को एक-दूसरे से लड़ते हुए दो दशक बिताने के बाद जीवन में अपने तरीके से जाने की अनुमति देगा, और इस उम्र में भी, एक बेहतर जीवन के लिए हमेशा उम्मीद हो सकती है, अगर एक साथ नहीं, अलग से।

सी.

डी.

23. हम, इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, तलाक की डिक्री देते हैं और दोनों पक्षों के बीच विवाह को तुरंत भंग कर देते हैं।

ई.

24. प्रत्यर्थी एक योग्य वकील है; वह दावा करती है कि वह कनाडा में अपने परिवार के पास वापस नहीं गई है, बल्कि केवल इस मुकदमे को लड़ने के लिए भारत में रही है।अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को 7,500 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है।कानून की डिग्री के साथ वह अपनी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने में सक्षम होगी, हालांकि वह दावा करती है कि उसका एकमात्र ध्यान अंतर-विवाद पर रहा है।चाहे जो भी हो, हमारा विचार है कि प्रति माह 7,500 रुपये के भरण-पोषण का भुगतान अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को जारी रखा जाना चाहिए, और पक्षकारों के लिए यह खुला है कि वे इस भरण-पोषण को बढ़ाने या उसमें कमी और समाप्ति के लिए उचित कार्यवाही करें।हम केवल यह आशा करते हैं कि तलाक

की डिक्री दिए जाने के बाद इस पहलू को भी पक्षों के बीच सुलझा लिया जा सकता है।25. अपील की अनुमति दी जाती है और पक्षों को अपना खर्च उठाने के लिए छोड़ दिया जाता है

एफ.

जी.

लागतें।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की अनुमति दी गई।

एच.